न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः— 366 / 2025

प्रार्थीः—

महेन्द्रसिंह पुत्र गेबसिंह जाति राजपुरोहित निवासी धारणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

श्री महेन्द्रसिंह सोढा अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 24.12.2025

यह आवेदन प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 136 के तहत पेश किया गया है, आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार वालो की आवासीय मकानात व आवासीय भूखण्ड मौजा धारणा की आबादी भूमि में स्थित है, उक्त आबादी भूमि के बदिशा उत्तर में ग्राम देवपुरा की खातेदारी भूमि अवस्थित है। प्रार्थी के उक्त आवासीय मकानात सर्वे पूर्व गांव धारणा की आबादी भूमि के खसरा संख्या 212 में अवस्थित थी जबकि बाद सर्वे रिसर्वे उक्त मकानात व आबादी भूमि के भूखण्ड राजस्व ग्राम देवपुरा की खतोदारी भूमि तहसील सिवाना के सर्वे रिसर्वे के दौरान खेत खसरा संख्या 444 में चले गये है, सर्वे रिसर्वे से पूर्व आबादी से लगती देवपुरा जाने वाली सडक के बदिशा पूर्व में एक पट्टी राजस्थान सरकार के नाम की भूमि थी, उक्त भूमि को भी सर्वे रिसर्वे के दौरान नया खसरा संख्या 232 कायम करते हुए आबादी भूमि में तरमीम कर दी गई है जबकि उक्त खसरा संख्या 232 की भूमि सर्वे पूर्व खसरा संख्या 212 आबादी की भूमि थी सर्वे पूर्व प्रार्थी के आवासीय मकानात जो आबादी भूमि में थे सर्वे उपरान्त ग्राम देवपुरा व राजस्थान सरकार के खसरा संख्या 232 में शामिल कर दिया गया, विधि अनुसार आबादी भूमि में कभी भी खातेदारी भूमि कायम नहीं की जा सकती तथा ऑवरलॉपिंग के दौरान भी खातेदारी भूमि को आबादी भूमि में समायोजित नहीं किया जा सकता हैं प्रार्थी द्वारा राजस्व कर्मचारियों द्वारा सर्वे रिसर्वे के दौरान की गई त्रुटिपूर्ण तरमीम को दुरूस्त किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:17:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस तहसीलदार की तलबी की गई।

तहसीलदार सिवाना द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तहसीलदार सिवाना के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिजनो की आवासीय मकानात ग्राम धारणा के खसरा संख्या 334 किस्म गै.मु.आबादी रकबा 19.4969 हैक्टेयर में अवस्थित है, सर्वे रिसर्वे के उपरान्त प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिजनो के आवासीय मकानात ग्राम देवपुरा में खसरा संख्या 444 में दर्शित हो रहे है, तहसील सिवाना के सर्वे रिसर्वे के पश्चात नवीन नक्शा में प्रार्थी व प्रार्थी के परिजनो के मकानात ग्राम देवपुरा में दर्शित हो रहा है। ग्राम देवपुरा के खसरा संख्या 444 का पुराने नक्शा अनुसार रकबा 0.4856 हैक्टेयर तथा नवीन नक्शा अनुसार उक्त खसरा का रकबा 0.4865 हैक्टेयर है यदि उक्त तरमीम को पुराने नक्शे दुरूस्त किया जाता है तो ग्राम देवपुरा के खसरा संख्या 444 का रकबा अनुज्ञेय सीमा से कम हो जायेगा, तहसीलदार सिवाना ने सर्वे रिसर्वे के दौरान हुए उक्त त्रुटि को जांच रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार को दुरूस्त किया जाना उचित बताया है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम धारणा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 334 की नक्शा में विद्यमान वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 24.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:17:08 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट 'अ'

नजरी नक्शा

मौजा धारणा + देवपुरा

तहसील सिवाना

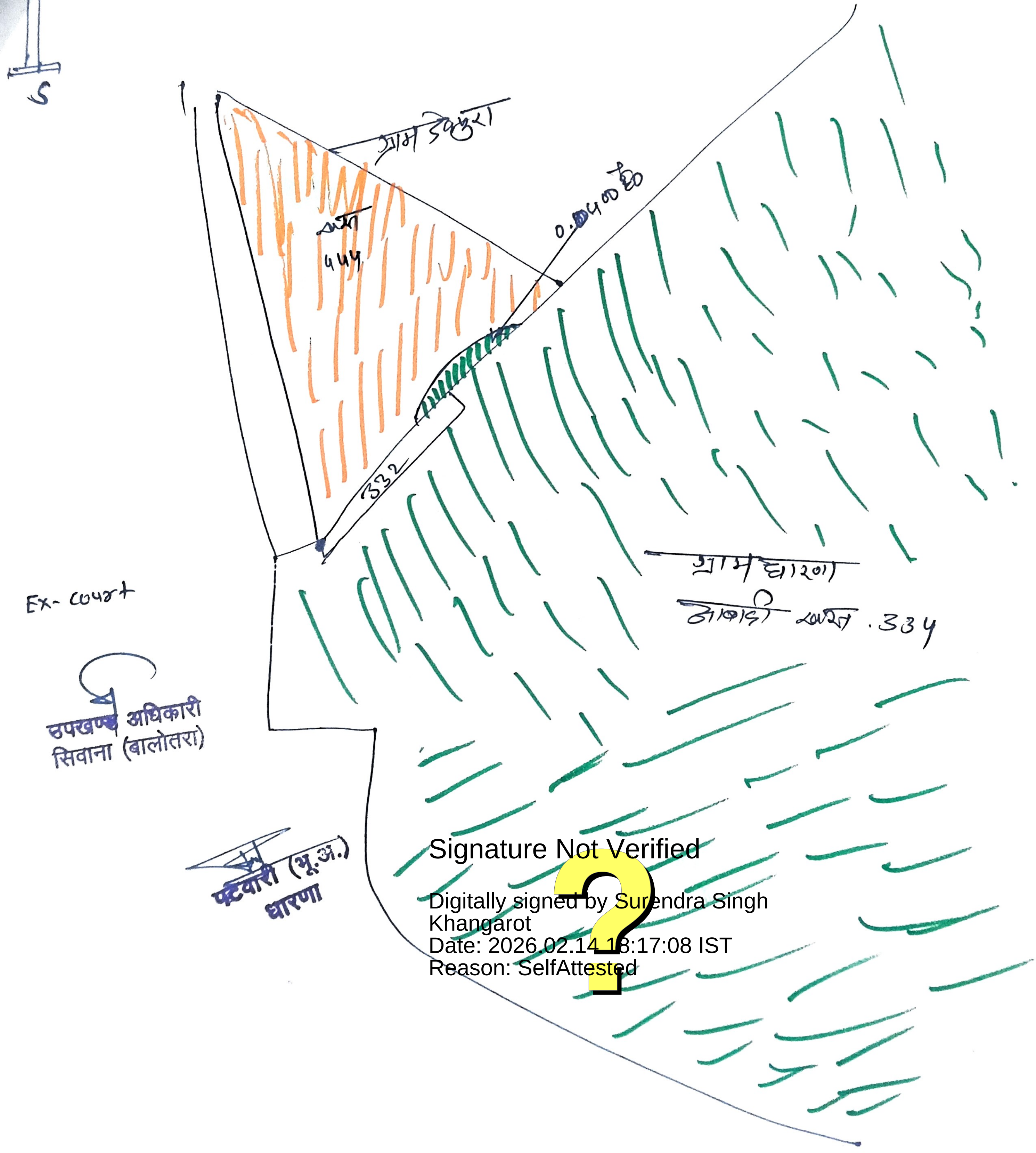

Ex-court

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

पटवारी (भू.अ.)
धारणा

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:17:08 IST
Reason: SelfAttested